



2025:CGHC:29710-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुरदाण्डिक अपील क्रमांक 551/2025

भारत संघ, द्वारा: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, सेक्टर 24, अटल नगर, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

... अपीलार्थी

विरुद्ध

दिनेश ताती, पिता मासा ताती, निवासी पालनार, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़।

... प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से : श्री बी. गोपा कुमार और श्री हिमांशु पाण्डेय, अधिवक्तागण

माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा,माननीय श्री विभू दत्त गुरु, न्यायाधीशबोर्ड पर निर्णयमुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा द्वारा02.07.2025

1. अपीलार्थी/ भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण श्री बी. गोपा कुमार तथा श्री हिमांशु पाण्डेय को सुना।

2. दिनांक 21.04.2025 के कार्यालय प्रतिवेदन के अनुसार, यह ज्ञात होता है कि प्रतिवादी को दिनांक 29.03.2025 को सूचना की तामिली की गई है और आज इस प्रकरण को सुनवाई हेतु लिया गया है। किंतु, भारत संघ द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील का विरोध करने के लिए प्रत्यर्थी की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए हैं, अतः न्यायालय प्रकरण की सुनवाई को जारी रखता है।

3. यह अपील अपीलार्थी द्वारा विद्वान राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय, जगदलपुर द्वारा दिनांक 07.02.2025 को पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 306(1) (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 343) के अधीन प्रस्तुत आवेदन जिसमें एक अभियुक्त/आत्मसमर्पित नक्सली को क्षमा-दान देने की अनुमति मांगी गई थी को खारिज किया था।



4. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि थाना कोतवाली, जिला बीजापुर द्वारा दिनांक 16/06/2023 को अपराध क्रमांक 68/2023 में छत्तीसगढ़ विशेष लोक सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(3)(5) के अधीन अपराध दर्ज किया गया। प्रतिवेदन में उल्लिखित आरोप, संक्षिप्त में, ये हैं कि कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति नाम दिनेश ताती, पिता-मासा ताती, निवासी- पालनार, थाना गंगालूर, जिला-बीजापुर, छत्तीसगढ़, को गिरफ्तार किया था। व्यक्ति की तलाशी के दौरान, एक काले रंग के बैग में 10 लाख रुपये (रु.2000 X 500) पीले पॉलिथीन कवर में, एक पासबुक, 80 नक्सली पर्चे और कुछ दवाइयां मिलीं, जिन्हें जब्त कर लिया गया। उक्त अभियुक्त दिनेश ताती से पूछताछ में, उसने खुलासा किया कि उसे उक्त 10 लाख रुपये की राशि एक आत्मसमर्पित नक्सली से मिला है (जिसे माननीय विशेष न्यायाधीश, जगदलपुर के न्यायालय ने 'A' नाम दिया है), शांति हेमला (क्षेत्रीय समिति सदस्य), पंद्रू पोट्टम (क्षेत्रीय कमांडर-इन-चीफ) से मिला था, जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के सदस्य हैं। आगे, इन लोगों ने दिनेश ताती को यह पैसा जॉन डीयर ट्रैक्टर के बीजापुर, छत्तीसगढ़ के माजिगुड़ा शोरूम से ट्रैक्टर खरीदने के लिए दिया और वापस आते समय उसे कंदुलानर जाकर 80 नक्सली पर्चे वेंकट उर्फ विश्वनाथ, मडदेड एरिया कमेटी के भोपालपट्टनम लोकल ऑर्गनाइजेशन स्क्वाड कमांडर को देने को कहा। तत्पश्चात बाद में, अन्वेषण के दौरान राज्य पुलिस द्वारा, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13 (1)(2), 39, 40 भी लगाई गई।

केंद्र सरकार को दिनांक 16/06/2023 को बीजापुर जिले के थाना कोतवाली में दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 68/2023 के बारे में जानकारी मिली थी। उपरोक्त घटनाक्रम के उपरांत, केंद्र सरकार का यह मानना था कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अधीन अनुसूचित अपराध कारित किया गया है और अपराध की गंभीरता और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को विचार में रखते हुए, यह आवश्यक पाया गया कि अपराध की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा की जाए। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए इस प्रकार अभिमत के अनुसार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 6(4)(5) सहपठित धारा 8 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 27/03/2024 को एक आदेश जारी किया और प्रकरण को अपने हाथ में ले लिया।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (सीटीसीआर डिवीजन), नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश क्रमांक 11011/35/2024/राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, दिनांक 04/03/2024 और दिनांक 27/03/2024 के अनुपालन में, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस प्रथम सूचना प्रतिवेदन को 04/04/2024 को आर सी क्रमांक- 17/2024/राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण/आरपीआर के रूप में पुनः पंजीबद्ध किया है।



अपीलार्थी संस्था भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित एक केंद्रीय शासकीय अभिकरण है, जिसका कार्य देश की संप्रभुता, सुरक्षा, अखंडता और आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराधों का अन्वेषण एवं अभियोजन चलाना है। इसे 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद स्थापित किया गया था, क्योंकि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता की रक्षा के लिए आतंकवाद से निपटने के लिए एक केंद्रीय अभिकरण की आवश्यकता महसूस की गई थी।

तत्पश्चात, अपीलार्थी- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने अभियुक्तों द्वारा किए गए गंभीर अपराध की का अन्वेषण प्रारंभ किया और अन्वेषण के दौरान, अभिकरण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 343 (दण्ड प्रक्रिया संहिता 306) के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें ऐसे व्यक्ति को क्षमा-दान देने मांग की गई थी जो वर्तमान प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों से अच्छी तरह परिचित था।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई के उपरांत, विचारण न्यायालय ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 (4)(ख) (नई विधि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 343) वर्तमान प्रकरण में लागू होती है और उक्त विधि के प्रावधानों की शर्तों का पालन नहीं किया गया है। इसी आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया। अतः यह अपील की गई है।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 07-02-2025 के आक्षेपित आदेश में जो निष्कर्ष अभिलिखित और अवलोकन किया हैं, वे न केवल विधिक प्रावधानों बल्कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के भी पूर्णतया विपरीत हैं। अतः, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज करने वाला यह आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण और तथ्यों व विधि के अनुसार अनुपयुक्त है, इसलिए यह अभिखण्डित व अपास्त किए जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान प्रकरण में, विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज करना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 343 (4)(ख) (पूर्व अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता का धारा 306 (4)(ख)) के प्रावधान के आधार पर है। यह प्रावधान व्यक्त करता है, "जब तक वह पहले से ही जमानत पर न हो, तब तक विचारण के खत्म होने तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा।" यह बताना समीचीन है कि वर्तमान प्रकरण में सरकारी गवाह अभियुक्त है, यद्यपि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अतः जमानत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह उल्लेख करना उचित है कि उक्त सरकारी गवाह एक आत्मसमर्पित नक्सली 'A' है और राज्य सरकार द्वारा आत्मसमर्पित नक्सलियों को समायोजित करने और उन्हें सामाजिक व राजनीतिक जीवन की मुख्यधारा में लाने के लिए बनाई गई योजना और पुनर्वास



नीति के अधीन राज्य पुलिस में गुप्त सैनिक के रूप में रहा है। सरकारी गवाह के आवेदन को खारिज करते समय विद्वान विचारण न्यायालय का तर्क निराधार, अनुचित और विधि के अनुसार मनमाना है। विद्वान विचारण न्यायालय ने यह गंभीर त्रुटि की है कि सरकारी गवाह अभियुक्त अपराध में यथार्थत शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त, दण्ड प्रक्रिया संहिता के धारा 164 के अधीन दिए गए कथन के मात्र परिशीलन से जो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संबंधित अभियुक्त अपराध की योजना और क्रियान्वयन में गहन रूप से शामिल था। उसके कथन से न केवल अपराध का षडयंत्र और क्रियान्वयन बल्कि अपराधियों और उनके संबंधित भूमिकाओं का भी खुलासा होता है। इसलिए, वर्तमान अभियुक्त को साक्ष्य देने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिससे अपराधियों/अभियुक्तों का उचित अभियोजन चलाने में सहायता मिलेगी।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा प्रस्तुत एक इसी तरह के प्रकरण दाण्डिक अपील क्रमांक 754/2020 "**राज्य विरुद्ध हिडमा व अन्य**", में इस माननीय न्यायालय ने दाण्डिक अपील को स्वीकार किया और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय को निर्देशित किया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर इस न्यायालय द्वारा उक्त दाण्डिक अपील में की गई टिप्पणियों के आलोक में पुनः विचार करे। राज्य के पक्ष में निर्णय देते हुए, इस न्यायालय ने विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का भी अवलंब लिया, जो वर्तमान प्रकरण प्रयोज्यता हेतु पूर्णतया वैध व सुसंगत हैं। **सुरेश चंद्र बाहरी विरुद्ध बिहार राज्य एससीसी 1995** पूरक वॉल्यूम 1, पृष्ठ 80 में, के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कई बार अपराध इस तरह से किया जाता है कि उसके अभिरक्षा हेतु कोई सुराग या साक्ष्य नहीं मिलता, इसलिए अन्य अपराधियों के प्रति सहयोग और अपराध से संबंधित वस्तुओं की बरामदगी तथा ऐसे सबूत उपलब्ध कराने के लिए क्षमा-दान दी जाती है जो अन्यथा प्राप्त नहीं हो सकते। मुख्य प्रयोजन यह है कि घोर और जघन्य अपराध करने वाले अपराधी बिना दण्डित किए न छूटें। इसलिए, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 का प्रयोजन ऐसे प्रकरणों में क्षमा-दान देना है, जहाँ कई लोगों द्वारा जघन्य अपराध करने का आरोप हो, ताकि क्षमा-दान दिए गए व्यक्ति के कथन के आधार पर, शेष लोगों को भी दोषी साबित किया जा सके। वर्तमान दाण्डिक अपील से संबंधित विवादक अब कोई नई अनिर्णीत विषय नहीं है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 गंभीर अपराधों में साक्ष्य की कमी के कारण अपराधियों को दण्ड से बचने से रोकने के लिए एक आवश्यक प्रावधान है, इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति को भी क्षमा-दान दी जा सकती है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष या गुप्त रूप से अपराध में शामिल हो।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मात्र परिशीलन यह स्पष्ट हो जाएगा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने तथ्यों की विवेचना करने में त्रुटि



किया कि वर्तमान अपीलार्थी-अभियोजन अभिकरण ने केवल अभियुक्त/आत्मसमर्पित व्यक्ति को क्षमा-दान देने का अनुरोध किया था। इसके अतिरिक्त, यह कहना पर्याप्त है कि यदि न्याय के हित में अभियुक्त सरकारी गवाह को क्षमा-दान की स्वीकृति की जाती तो अभियुक्त को कोई नुकसान या प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। साथ ही, इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि अभियुक्त व्यक्तियों पर यूएपीए से संबंधित गंभीर अपराधों का आरोप है, जिसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों द्वारा देश के लिए गंभीर सुरक्षा खतरे के रूप में देखा जाना चाहिए और इसके दृष्टिगत, न्याय सुनिश्चित करने के लिए, उपरोक्त दायित्व प्रक्रिया प्रावधानों के अधीन प्रस्तुत आवेदन पर विचार करना आवश्यक और महत्वपूर्ण है।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अंत में तर्क किया कि इसी तरह के एक प्रकरण में, इस न्यायालय के युगलपीठ ने दायित्व अपील क्रमांक 754/2020 में राज्य (द्वारा: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण) विरुद्ध हिडमा व अन्य में दिनांक 05.10.2021 के आदेश के माध्यम से निर्णय किया था और वर्तमान प्रकरण में भी इसी प्रकार का विवादक अन्तर्वलित है।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों की विवेचना हेतु, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 343(दण्ड प्रक्रिया संहिता की 306) में दिए गए प्रावधानों का उल्लेख करना सुसंगत है, जो निम्नानुसार है:-

343. सह-अपराधी को क्षमा-दान

(1) किसी ऐसे अपराध से, जिसे यह धारा लागू होती है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संबंध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध के अन्वेषण या जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में, और अपराध की जांच या विचारण करने वाला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमा-दान कर सकता है कि वह अपराध के संबंध में और उसके किए जाने में चाहे कर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में संबद्ध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में सब परिस्थितियों का, जिनकी उसे जानकारी हो, पूर्ण और सत्य प्रकटन कर दे।

(2) यह धारा निम्नलिखित को लागू होती है

(क) अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा था तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध;

(ख) ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो या अधिक कठोर दंड से दंडनीय कोई अपराध ।

(3) प्रत्येक मजिस्ट्रेट, जो उपधारा (1) के अधीन क्षमा-दान करता है.-



(क) ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा:

(ख) यह अभिलिखित करेगा कि क्षमा-दान उस व्यक्ति द्वारा, जिसकी कि वह किया गया था स्वीकार कर लिया गया था या नहीं,

और अभियुक्त द्वारा आवेदन किए जाने पर उसे ऐसे अभिलेख की प्रतिलिपि निःशुल्क देगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन क्षमा-दान स्वीकार करने वाले

(क) प्रत्येक व्यक्ति की अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में और पश्चातवर्ती विचारण से बाद कोई हो, साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को जब तक कि वह पहले से ही जमानत पर न ही विचारण खत्म होने तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा।

(5) जहां किसी व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन किया गया क्षमा-दान स्वीकार कर लिया है और उसकी उपधारा (4) के अधीन परीक्षा की जा चुकी है, वहां अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट, प्रकरण में कोई अतिरिक्त जांच किए बिना-

(क) प्रकरण को

(i) यदि अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है या यदि संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो, उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा।

(ii) यदि अपराध अनन्यतः तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा।

सुपुर्द कर देगा:

(ख) किसी अन्य दशा में, मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के हवाले करेगा जो उसका विचारण स्वयं करेगा।

10. आगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 344(दण्ड प्रक्रिया संहिता की 307) में दिए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

344. क्षमा-दान का निदेश देने की शक्ति

प्रकरण की सुपुर्दगी के पश्चात किसी समय किन्तु निर्णय दिए जाने के पूर्व वह न्यायालय जिसे मामला सुपुर्द किया जाता है किसी ऐसे अपराध से प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूप में सम्बद्ध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य विचारण में अभिप्राप्त करने की दृष्टि से उस व्यक्ति को उसी शर्त पर क्षमा-दान कर सकता है।

11. आगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 345(दण्ड प्रक्रिया संहिता की 308) में दिए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं:-



345. क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण

(1) जहां ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने धारा 343 या धारा 344 के अधीन क्षमा-दान स्वीकार कर लिया है। लोक अभियोजक प्रमाणित करता है कि उसकी राय में ऐसे व्यक्ति ने या तो किसी अत्यावश्यक बात को जानबूझकर छिपा कर या मिथ्या साक्ष्य देकर उस शर्त का पालन नहीं किया है जिस पर क्षमा-दान किया गया था वहां ऐसे व्यक्ति का विचारण उस अपराध के लिए, जिसके बारे में ऐसे क्षमा-दान किया गया था या किसी अन्य अपराध के लिए, जिसका वह उस विषय के संबंध में दोषी प्रतीत होता है, और मिथ्या साक्ष्य के भी अपराध के लिए भी विचारण किया जा सकता है:

परन्तु ऐसे व्यक्ति का विचारण अन्य अभियुक्तों में से किसी के साथ संयुक्ततः नहीं किया जाएगा: परन्तु यह और कि मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति का विचारण उच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा और धारा 215 और धारा 379 की कोई बात उस अपराध को लागू न होगी।

(2) क्षमा-दान स्वीकार करने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया और धारा 183 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा या धारा 343 की उपधारा (4) के अधीन किसी न्यायालय द्वारा अभिलिखित कोई कथन ऐसे विचारण में उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकता है।

(3) ऐसे विचारण में अभियुक्त यह अभिवचन करने का हकदार होगा कि उसने उन शर्तों का पालन कर दिया है जिन पर उसे क्षमा-दान दिया गया था, और तब यह साबित करना अभियोजन का काम होगा कि ऐसी शर्तों का पालन नहीं किया गया है।

(4) ऐसे विचारण के समय न्यायालय—

(क) यदि वह सेशन न्यायालय है तो आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाने और समझाए जाने के पूर्व;

(ख) यदि वह मजिस्ट्रेट का न्यायालय है तो अभियोजन के साक्षियों का साक्ष्य लिए जाने के पूर्व,

अभियुक्त से पूछेगा कि क्या वह यह अभिवचन करता है कि उसने उन शर्तों का पालन किया है जिन पर उसे क्षमा-दान दिया गया था।

(5) यदि अभियुक्त ऐसा अभिवचन करता है तो न्यायालय उस अभिवाक् को अभिलिखित करेगा और विचारण के लिए अग्रसर होगा और वह प्रकरण में निर्णय देने के पूर्व इस विषय में निष्कर्ष निकालेगा कि अभियुक्त ने क्षमा की शर्तों का पालन किया है। या नहीं। और यदि यह



निष्कर्ष निकलता है कि उसने ऐसा पालन किया है तो वह इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, दोषमुक्ति का निर्णय देगा।

12. सह-अपराधी को क्षमा-दान देने की पद्धति की सीमा, प्रयोजन और महत्व को माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सुरेश चंद्र बहरी विरुद्ध बिहार राज्य (1995 (पूरक वॉल्यूम-1) एससीसी 80)** के प्रकरण में निम्नानुसार स्पष्ट किया था:

42. "हमने उपरोक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 को पहले ही उद्धृत कर दिया है, जिसके प्रावधान विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध या ऐसे कारवास से जिसकी अवधि सात वर्षों तक की हो या अधिक कठोर दण्ड से दण्डनीय अपराध पर लागू होते हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 यह स्पष्ट करती है कि किसी व्यक्ति को अपनी जानकारी बताने के लिए कोई प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। कई बार अपराध इस तरह किया जाता है कि उसके पकड़े जाने का कोई सुराग या साक्ष्य नहीं मिलता, इसलिए दूसरे अपराधियों को पकड़ने, साक्ष्य एकत्र करने व अन्य तरीकों से उपलब्ध न होने वाले साक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्षमा-दान दी जाती है। मुख्य प्रयोजन यह है कि गंभीर या जघन्य अपराध करने वाले अपराधी दण्ड से न बच सकें। इसलिए, विधायिक ने विवेक से इस धारा को शामिल किया और इसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 में बताए गए प्रकरणों तक सीमित रखा। धारा 306 का प्रयोजन ऐसे प्रकरणों में क्षमा-दान देना है जहाँ कई लोगों द्वारा जघन्य अपराध किया गया हो, ताकि क्षमा-दान दिए गए व्यक्ति के कथन के आधार पर शेष लोगों को भी दोषी साबित किया जा सके। क्षमा-दान देने का आधार यह नहीं है कि जिसे क्षमा-दान दिया गया है, उसका दोष कितना है, बल्कि इसका प्रयोजन गंभीर अपराधों में साक्ष्य की कमी के कारण अपराधियों को दण्ड से बचने से रोकना है। इसलिए, किसी सह-अपराधी को सिर्फ इसलिए क्षमा-दान देने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि उसके संस्वीकृति में वह स्वयं को दूसरे आरोपियों की तरह दोषी नहीं मानता, क्योंकि धारा 306 में सिर्फ इतना कहा गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा-दान दी जा सकती है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष या गुप्त रूप से किसी अपराध में शामिल हो।"

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने पश्चावर्ती निर्णय, **चंद्रन विरुद्ध केरल राज्य (2011) 5 एससीसी 161**, **पृथ्वीपाल सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य (2012) 1 एससीसी 10**, **याकूब अब्दुल रज़ाक मेमन विरुद्ध**



महाराष्ट्र राज्य (2013) 13 एससीसी 1 और सोमासुंदरम विरुद्ध राज्य (2020) 7 एससीसी 722 में उपरोक्त सिद्धांत का पालन संक्षिप्त रूप से किया गया है।

14. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2025 को पारित आदेश के परिशीलन से दर्शित होता है कि अपीलार्थी की याचिका को माननीय उच्चतम न्यायालय के दण्डिक अपील क्रमांक 329/1992 सुरेश चंद्र बाहरी विरुद्ध बिहार राज्य व अन्य, दण्डिक अपील क्रमांक 159/2022 और दण्डिक अपील 159/1992 व अन्य दण्डिक अपील 160/1992 में पारित निर्णयों का अवलंब लेते हुए खारिज कर दिया गया है। साथ ही यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित अभिमत और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के उप-धारा 4 के उप-खंड (ख) के अनुसार, सह-अपराधी को क्षमा-दान देने के लिए यह भी एक आवश्यक शर्त है कि जब वह व्यक्ति पहले से ही जमानत पर न हो, तब उसे विचारण पूरा होने तक अभिरक्षा में रखा जाएगा।

जबकि इस प्रकरण में, आवेदन में नामजद अभियुक्त नक्सली "A", जिसके लिए क्षमा-दान मांगी गई है, वह न तो पहले से जमानत पर है, न ही उसे गिरफ्तार किया गया है और न ही वह अभिरक्षा में है। इसलिए, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के उप-धारा 4 के उप-खंड 'ब' और उपरोक्त न्याय निर्णयन में विचारण न्यायालय के अभिमत के संदर्भ में, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लिखित व्यक्ति के प्रकरण में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के उप-धारा 4 के उप-खंड 'ब' की आवश्यक शर्त पूरी नहीं होती है।

15. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने आवेदन खारिज करते समय जो अनुमान लगाया, वह यह था कि जिस व्यक्ति के लिए क्षमा-दान मांगी गई है, वह न तो पहले से जमानत पर है, न ही उसे गिरफ्तार किया गया है और न ही वह अभिरक्षा में है। यह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 की विधिक प्रक्रिया के विपरीत है। कुछ शर्तों को पूरा करने पर क्षमा-दान देने का अधिकार स्वयं में कुछ परिणाम लाता है। सिर्फ इसलिए कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अधीन क्षमा-दान देने से कुछ विधिक परिणाम होंगे, इसलिए क्षमा-दान के लिए आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता था।

16. चंद्रन विरुद्ध केरल राज्य (2011) 5 एससीसी 161 प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय को एक ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने का अवसर मिला, जिसका विचारण नहीं चलाया गया था, किंतु अभियुक्त के साथ विचारण चलाया जा सकता था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने लक्ष्मिपत चौडरिया विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1968 एससी 938 प्रकरण में प्रतिपादित अपने निर्णय के दृष्टिगत, उस व्यक्ति के साक्ष्य को विश्वसनीय पाया।



चंद्रन और लक्ष्मिपत चौडरिया (पूर्वोक्त) प्रकरण में विश्लेषित विधिक सिद्धांतों को विचार में रखते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पृथ्वीपाल सिंह** (पूर्वोक्त) प्रकरण में विधि को संक्षेप में, इस बिन्दु पर प्रस्तुत किया:—

"43. उपरोक्त तथ्यों को विचार में रखते हुए, इस विवाद्यक पर विधि का सार यह है कि किसी अपराध में शामिल व्यक्ति, जिसे अभियुक्त नहीं बनाया गया है या जिसका विचारण नहीं चलाया गया है, उसके बयान का अवलंब लिया जा सकता है। यद्यपि, इस साक्ष्य को सावधानी और सतर्कतापूर्वक विचार करना चाहिए। जिस सह-अपराधी का विचारण नहीं चलाया गया है, वह एक सक्षम साक्षी है क्योंकि वह शपथ लेने के बाद न्यायालय में बयान देता है और किसी भी विधि में यह निषिद्ध नहीं है कि साक्ष्य की पुष्टि के बिना उसके बयान पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।"

17. उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने दिए गए बयानों और उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच किए बिना और इस तथ्य को विचार में रखे बिना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 344 (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 307) के अधीन अपीलार्थी को क्षमा-दान देने के आवेदन पर विचार करने का निहित अधिकार होने के बावजूद, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने मनमाने ढंग से अपीलार्थी का आवेदन खारिज कर दिया, जो स्वयं ही अवैध है। अतः आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है।

18. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 344 (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 307) के प्रावधानों और दण्डिक अपील क्रमांक 754/2020 राज्य (द्वारा: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण) विरुद्ध हिडमा व अन्य के प्रकरण में इस न्यायालय की युगलपीठ द्वारा पारित आदेश के आलोक में, अपीलार्थी के आवेदन पर पुनर्विचार करने हेतु यह प्रकरण राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

19. फलस्वरूप, अपील उपरोक्त दर्शित सीमा तक स्वीकार की जाती है।



सही/-
(बिभु दत्त गुरु)
न्यायाधीश

सही/-
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधिपति

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

